30/04/18

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर मुकाम.....

.....शान्तीदेवी वगैराह.....बनाम.....ईश्वरचन्द वगैराह.....

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 81 (2) रा.भू.अ. सपठित धारा 151 सीपीसी नं. 102A ... सन 2018

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
30/04/18	प्रार्थीनी श्रीमती शान्तीदेवी वगैराह की ओर से यह आवेदन वकील श्री पुरूषोतम सोनी द्वारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 81 (2) सपठित धारा 41 नियम 05 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध ईश्वरचन्द वगैराह प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीनी को सुना गया। वकील प्रार्थीनी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील संख्या 21/07, 22/07 एवं 24/07 में आदेश दिनांक 20.04.2018 को पारित किया गया है, जिसमे अपीले खारिज की गई है। उक्त प्रकरणों मे प्रकरण संख्या 231/2007 मे स्थगन आदेश पारित था, परन्तु अपीलों के निर्णय के साथ में उसमें निर्णय पारित कर स्थगन आदेश निरस्त किया जा चुका है। उक्त अपीलों के राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 81 (2) के अन्तर्गत अपील की म्याद तक मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना था, परन्तु ऐसा नही किया गया है। अप्रार्थीगण ताकतवर व्यक्ति है, जो उक्त आदेश की आड़ मे मौके व अभिलेख की स्थिति परिवर्तन करने पर उतारू है। अतः न्याय हित में अपील की म्याद तक उपर्युक्त प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 20.04.2018 की क्रियान्विति पालना व प्रभाव को स्थगित रखते हुए मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करावें। हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया। पत्रावलीयों के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। उक्त अपील पत्रावलीयां सख्या 21/07, 22/07 एवं 24/07 वर्ष 2007 में इस	

उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्यायालय ने दायर की गई थी। उक्त पत्रावलीयों में सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर सुनवाई की गई, जो विधि सम्मत है। उक्त पत्रावलीयों में दिनांक 20.04.2018 को विस्तृत सुनवाई के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। प्रार्थीनी द्वारा ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है जिसमें उक्त आदेश दिनांक 20.04.2018 की क्रियान्विति को स्थगित रखा जावें। प्रार्थीनी उक्त विधि सम्मत आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौति देने हेतु स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आवेदन के निर्णय की प्रतियां निर्णित अपील संख्या 21/07, 22/07 एवं 24/07 में रखी जावें। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश दिनांक 30.04.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner